



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:21359-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सि सं. - 1632 वर्ष 2026

बुधिराम

..... याची (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा सचिव राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 3 अन्य

..... प्रत्युत्तरदाता (गण)

याची (गण) के अधिवक्ता

: मनीष मणि शर्मा

प्रत्युत्तरदाता (गण) के अधिवक्ता

: मु.स्था.अ., अतुल कुमार द्विवेदी

न्यायालय सं. -1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय

माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला

(सि. प्र. आवेदन सं. शून्य वर्ष 2026)

1. याची की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को अभिलेख पर लिया गया है।
2. याची के विद्वान् अधिवक्ता श्री मनीष मणि शर्मा, राज्य सरकार के विद्वान् अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, और विरोधी पक्षकार सं. 4 के विद्वान् अधिवक्ता श्री अतुल कुमार द्विवेदी को सुना।
3. संशोधन आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।
4. संशोधन आज ही दिन के दौरान कर लिया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रिट याचिका पर आदेश

1. इस रिट याचिका के माध्यम से, याची ने निम्नलिखित अनुतोष की मांग की है:

"1. प्रत्युत्तरादातगण को, याची की अधिगृहीत भूमि गाटा सं. 364-ग, क्षेत्रफल 1600

वर्ग मीटर और उसकी आस्तियां, अर्थात् घर, सहन, पेड़ एवं अन्य वस्तुएं स्थित ग्राम

सत्ताहपुर राजोर, तहसील - टांडा, परगना टांडा, जिला अंबेडकर नगर के प्रतिकर के

भुगतान के लिए याची के मामले पर, न्यायहित में, यथाशीघ्र विचार करने का निदेश

और आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया

जाए।"

2. आबादी भूमि, जिस पर याची ने अपने कब्जे का दावा किया था, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.02.2013 के माध्यम से वापस ले ली गई थी। उक्त वापसी अधिसूचना को, जो पूर्ववर्ती उ. प्र. जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (एतदपश्चात् 'अधिनियम, 1950' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 117(6) के अधीन जारी की गई थी, याची द्वारा रिट याचिका सं. 11305 वर्ष 2018 के माध्यम से चुनौती दी गई थी। अन्य व्यक्तियों ने भी रिट याचिकाएं दाखिल की थीं, जिन्हें उपर्युक्त रिट याचिका के साथ संयुक्त कर दिया गया था। उपर्युक्त रिट याचिकाएं 04.12.2024 को विनिश्चित की गई थीं। उक्त रिट याचिका में, अधिनियम, 1950 की धारा 9 को निर्देश्य कब्जे का एक अभिवचन किया गया था, जिसे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अस्वीकृत कर दिया गया था। इस संबंध में, हम पैरा 93 का, और उक्त निर्णय के पैरा 106 में अंतर्विष्ट प्रवर्तनीय भाग का भी निर्देश कर सकते हैं, जो इस प्रकार है:

"93. इसलिए, उपलब्ध मामलों में, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि याचीगण, श्रेणी 6(2) के अधीन अभिलिखित सरकारी आबादी भूमि पर केवल अतिक्रमणकारी हैं, और उनकी प्रास्थिति एक अतिक्रमणकारी से अधिक कुछ नहीं है। जैसी हमने उपर्युक्त पहले ही चर्चा की है, अधिनियम की धारा 9 के लाभ का दावा केवल उन्हीं भवनों के संबंध में किया जा सकता है, जो निहित होने की दिनांक को अस्तित्व में थे। बाद में निर्मित किसी भवन को उसके स्वामी, अधिभोगी आदि के साथ निर्धारित नहीं माना जा सकता, जैसा बस्ती राम बनाम नगर निगम, गाजियाबाद एवं एक अन्य (उपर्युक्त) 11 में, और कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, इमामबाड़ा कदीम एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (उपर्युक्त) 8 में भी निर्णीत किया गया है, इस संबंध में विधि बहुत स्पष्ट है।

X. निष्कर्ष

106. उपर्युक्त चर्चा के प्रकाश में, हम अपने निष्कर्षों को निम्नवत् संक्षेपित करते हैं:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



क. अधिनियम 1950 की धारा 4 एवं 6 का प्रभाव यह है कि उ. प्र. राज्य की वे सभी आस्तियां, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, सभी प्रकार के भारों से मुक्त होकर उ. प्र. राज्य को हस्तांतरित हो जाएंगी और उसमें निहित हो जाएंगी;

ख. उ. प्र. राज्य में, अधिनियम वर्ष 1950 की धारा 4, 3(8) और 6 के अधीन सभी भारों से मुक्त एक पूर्ण स्वत्व और स्वामित्व निहित था, और सभी अधिकार समाप्त हो गए थे और उत्तर प्रदेश राज्य में निहित हो गए थे;

ग. राज्य में निहित होना पूर्ण था, किन्तु गांव सभा में निहित होना, सरकार द्वारा निर्निहित किए जाने के अधीन, केवल कब्जे और प्रबंधन तक सीमित था;

घ. गांव सभा में भूमि का निहित होना केवल गांव सभा द्वारा भूमि के उचित प्रबंधन और पर्यवेक्षण की सुविधा उपबंधित करता था, और धारा 117(1) के आधार पर गांव सभा में भूमि का निहित होना स्पष्ट रूप से अधिकार, स्वत्व और हित का पूर्ण निहित होना नहीं है;

ड. अधिनियम वर्ष 1950 की धारा 9 का विधायी आशय बहुत स्पष्ट है, और यह विद्यमान/स्थित कुओं, वृक्षों, भवनों और उनसे संलग्न क्षेत्र का उन व्यक्तियों के साथ बंदोबस्त करने का उपबंध करता है, जो निहित होने की दिनांक, अर्थात् 1

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जुलाई, 1952 को, कब्जे की निरंतरता बनाए रखने के आशय से उन्हें विधिपूर्ण रूप से धारण करते थे;

च. अधिनियम की धारा 9 के पीछे विचार उन व्यक्तियों को कुओं, वृक्षों और भवनों के कब्जे की निरंतरता प्रदान करना है, जो निहित होने की दिनांक से पहले उन्हें वैध रूप से अपने कब्जे में रखते थे, यह माना जाएगा कि उनका बंदोबस्त उसी व्यक्ति के साथ किया गया है, जो निहित होने की दिनांक से पहले विधिपूर्ण कब्जे में था;

छ. अधिनियम की धारा 9 में प्रयुक्त शब्द 'धृत' का निर्वचन "विधिपूर्ण धृत, विधिपूर्ण स्वत्व द्वारा कब्जा" के रूप में किया गया है, जैसा उच्चतम न्यायालय ने बुधन सिंह बनाम नबी बक्स में निर्णीत किया गया था, और दोषपूर्ण कब्जा प्राप्त करना नहीं है। दूसरे शब्दों में, शब्द 'धृत' विधिक अधिकार के आधार पर कब्जा दर्शित करता है। शब्द "धृत" का विस्तार इसकी परिधि में केवल अतिक्रमणकारी या ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जिनका भवन धारण करने का अन्यथा कोई अधिकार नहीं है, जिससे विवादित संपत्ति पर दूसरों का विधिक अधिकार या स्वत्व समाप्त हो जाए या उसे अनदेखा किया जाए;

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ज. अधिनियम की धारा 9 का लाभ केवल तभी दिया जा सकता है, जब इस बात का साक्ष्य और प्रमाण उपलब्ध हो कि निहित होने की दिनांक, अर्थात् 1 जुलाई, 1952 को, उस भूमि पर कोई कुआं या भवन विधिपूर्ण रीति से विद्यमान/स्थित था;

झ. यह स्थापित करने का भार कि प्रश्नगत भवन निहित होने की दिनांक को अस्तित्व में था, उस व्यक्ति पर होगा जो अधिनियम की धारा 9 का लाभ प्राप्त करना चाहता है। यह दूसरे पक्षकार पर अंतरित नहीं किया जा सकता है। बाद में निर्मित किसी भवन का उसके स्वामी, अधिभोगी आदि के साथ निर्धारण किया गया नहीं माना जा सकता है।

ञ. उ. प्र. पंचायत राज (परिवार रजिस्टर का रखरखाव) नियमावली 1970 के अधीन जारी परिवार रजिस्टर (कुटुंब रजिस्टर) की प्रतियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परिवार रजिस्टर नियमावली का केवल उ. प्र. पंचायत राज (परिवार रजिस्टर का रखरखाव) नियमावली 1970 के लागू होने के बाद ही रख-रखाव आरंभ हुआ था। याचीगण ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके थे जिससे यह साबित हो सके कि वे निहित होने की दिनांक, अर्थात् 1 जुलाई, 1952 को, प्रश्नगत भूमि पर रह रहे थे। अधिनियम, 1950 की धारा 9 के अधीन लाभ

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रदान करने के लिए, निहित होने की दिनांक पर भवन का अस्तित्व एक आवश्यक शर्त है;

ट. खसरा कब्जे का एक संकेतक है, जबकि खतौनी भूमि पर स्वत्व और कब्जे की प्रकृति से संबंधित है। वर्तमान मामले में, याचीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह पता चले कि भूमि पर उनका विधिपूर्ण अधिकार था और वे प्रश्नगत भूमि के विधिपूर्ण कब्जे में भी थे;

ठ. उ. प्र. भूमि लेख नियमावली के पैरा क- 124 की श्रेणी 6(2) के अधीन सार्वजनिक/ग्राम आबादी भूमि के रूप में अभिलिखित भूमि राज्य/ग्राम सभा की है और जैसा कि फूल सिंह एवं अन्य (उपर्युक्त) तथा मसरूर अहमद एवं अन्य (उपर्युक्त) में निर्णय किया गया है, यह भूमि राज्य में निहित है। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा यथा उपर्युक्त अभिलिखित भूमि वापस लेने में कोई बाधा नहीं है;

ड. सरकार अपनी स्वयं की भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकती और न ही करती है; अधिनियम, 1950 की धारा 117(6) के निबंधनों में केवल भूमि को वापस लिया जा सकता है, क्योंकि अधिकार, स्वत्व और स्वामित्व अभी भी राज्य के पास ही बना रहता है;

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ढ. प्रबंध समिति, दुर्गा नारायण कॉलेज और आदित्य कुमारी स्कूल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में किए गए संप्रेक्षण और निष्कर्ष, उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सही थे, और वे वर्तमान मामले पर लागू नहीं होंगे। दुर्गा नारायण कॉलेज वाद की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि वर्तमान वाद से पूर्णतः भिन्न है;

ण. याचीगण केवल, श्रेणी 6(2) के अधीन अभिलिखित सरकारी ग्राम आबादी भूमि पर अतिक्रमणकारी हैं, और उनकी प्रास्थित एक अतिक्रमणकारी से अधिक कुछ नहीं है। अधिनियम, 1950 की धारा 9 के अधीन लाभ देने के लिए, भूमि के सरकार में निहित होने की दिनांक को उस पर किसी भवन का विद्यमान होना एक पूर्ववर्ती शर्त है। याचीगण ने निहित होने की दिनांक को भवन के अस्तित्व का तथ्य स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है;

त. किसी विनिश्चय का सार उसका आधार होता है, न कि उसमें किया गया प्रत्येक संप्रेक्षण नहीं, और न ही वह जो निर्णय में किए गए विभिन्न संप्रेक्षणों से तर्कसंगत रूप से निकलता हो। प्रत्येक निर्णय को उन विशिष्ट तथ्यों पर लागू होने वाला माना जाना चाहिए जो साबित हुए हों, या जिन्हें साबित हुआ माना गया हो, क्योंकि, अभिव्यक्तियों की सामान्यता, जो उसमें पाई जाती हैं, पूरी विधि की व्याख्या करने के लिए आशयित नहीं होती हैं किन्तु विशिष्ट

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



वाद के तथ्यों से नियंत्रित और विशेषित होते हैं, जिसमें ऐसी अभिव्यक्तियां पाई जाती हैं;

थ. किसी विनिश्चय के आधार को, उसके संदर्भ और तथ्यों की व्याख्या के संबंध में समझा जाना चाहिए। किसी विनिश्चय की बाध्यकारी शक्ति को समझने और उसके मूल्यांकन के लिए, यह देखना सदैव आवश्यक होता है कि जिस मामले में वह विनिश्चय किया गया था, उसमें क्या तथ्य थे और क्या विवादक था जिसे विनिश्चित किया जाना था। किसी निर्णय को इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता है, जैसे कि वह कोई विधि हो।"

3. याची को उक्त आबादी भूमि का अतिक्रमणकारी निर्णीत किया गया था, तथापि, शासनादेश दिनांक 01.06.2016 की दृष्टि से, क्योंकि उक्त भूमि पर कुछ अवसंरचना विद्यमान थी जो याची की थी इसलिए, उक्त अवसंरचना की माप की गई थी और उस माप के आधार पर उसके लिए देय प्रतिकर की गणना की गई थी, जैसा याची ने स्वयं रिट याचिका के पैरा 12 में कथन किया है, जो इस प्रकार है:

"12. यह कि, प्रत्युत्तरदातागण केवल 153 वर्ग मीटर भूमि के लिए ही प्रतिकर दे रहे हैं। उन्होंने भूमि के शेष भाग और उस पर विद्यमान आस्तियों को बलपूर्वक, स्वच्छंद और अवैध रीति से, प्रतिकर का कोई भुगतान किए बिना ले लिया है।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. जहां तक उस खुली भूमि का संबंध है जिस पर याची ने दावा किया था, इस संबंध में उसके अधिकारों पर पहले ही विचार किया जा चुका है, और पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 04.12.2024 द्वारा निर्धारित किया जा चुका है, जिसमें, याची को केवल एक अतिक्रमणकारी माना गया था। इसलिए, उक्त खुली भूमि के संबंध में वह किसी प्रतिकर के लिए अधिकृत नहीं है, भले ही यह मान लिया जाए कि विधि ने अन्यथा ऐसे प्रतिकर के भुगतान अनुमत किया था। क्योंकि, अधिनियम, 1950 की धारा 117 की उपधारा 6 के अधीन, प्रतिकर गांव सभा या संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को देय था।

5. याची के विद्वान् अधिवक्ता ने कहा है कि वह अपना अनुतोष केवल उक्त भूमि पर विद्यमान संरचना तक ही सीमित करते हैं, जिसकी उनके अनुसार, माप 153 वर्ग मीटर नहीं, बल्कि 1600 वर्ग मीटर थी।

6. उपर्युक्त तथ्य को, यह मानते हुए कि यह विवादक पूर्णतः तथ्य आत्मक है, और रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में न्यायनिर्णीत किया जा सकता है, उपर्युक्त तथ्य साबित करने के लिए कहे जाने पर, याची के विद्वान् अधिवक्ता ने हमारा ध्यान, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के, जिसके लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि वापस ली गई थी, विरुद्ध याची द्वारा अधिमानित वाद में दाखिल एक आयुक्त रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया था। वह वाद, जो कि स्थायी व्यादेश के लिए था, खारिज किया जा चुका है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. हम यह समझने में असमर्थ हैं कि कैसे, रिट क्षेत्राधिकार में हम ऐसी आयुक्त रिपोर्ट पर विचार कर सकते हैं, जब तक उक्त वाद कार्यवाहियों के दौरान, अवर न्यायालय द्वारा 1600 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में विद्यमान अवसंरचना के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया हो। इसलिए, हम इन तथ्यात्मक विवाद्यों पर विचार करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, और वह भी ऐसे विलंबित प्रक्रम पर, जब वापसी नोटिस 2013 में जारी किया गया था और वादकारिता के पूर्ववर्ती चरण में निर्णय 2024 में दिया गया था।

8. फिर भी, यदि याची राज्य सरकार को यह साबित करके कि वह संरचना 153 वर्ग मीटर पर नहीं, बल्कि एक बड़े क्षेत्र पर विद्यमान थी, उस संरचना के संबंध में बढ़े हुए प्रतिकर के भुगतान के लिए कोई मामला बनाने में सक्षम होता है, तो वह संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपने दावे के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

9. उपर्युक्त के अध्यक्षीन, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला) (न्यायमूर्ति राजन राय)

मार्च 25, 2026

आर.के.पी.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”